क्रम-संख्या–268

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978
वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1146/सत्रह–वि0–1––9-1978
लखनऊ, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम 12, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम; 1921 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी, अध्याय दो की धारा 2 और 4 को 1 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा, अध्याय दो के शेष उपबन्धों को 25 नवम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा, और अध्याय तीन के उपबन्धों को 21 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1937 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (13) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में, पद 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षा समिति से है, और पद 'प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1-ख) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1978 तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ; "।

धारा 50 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1-क) में, अंक "1977" के स्थान पर अंक "1978" रख दिये जायंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, अंक "1977" के स्थान पर अंक "1978" रख दिये जायंगे।

धारा 55 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (8) में, खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "धारा 68 क अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति के किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश" रख दिये जायंगे।

नई धारा 55-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम के अध्याय 10 में, धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"55-क.—(1) धारा 9 के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।"

धारा 72 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, उसके परन्तुक में अंक "1977" के स्थान पर अंक "1978" रख दिये जायेंगे।

धारा 72-क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 72-क में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1978 तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ; "।

धारा 73 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में अंक "1977" के स्थान पर अंक "1978" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 6 का संशोधन

10—मूल अधिनियम के अध्याय 6 में, जहां कहीं भी शब्द 'या 'किसी स्थानीय प्राधिकारी' 'या किसी स्थानीय प्राधिकरण', 'या स्थानीय प्राधिकरण' और 'या स्थानीय प्राधिकारी' आये हों, निकाल दिये जायेंगे।

अध्याय–तीन

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का संशोधन

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2, 1921 की धारा 3 का संशोधन

11—इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,—

(एक) उपधारा (1) में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित, राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के ग्यारह प्रधान और ऐसी संस्थाओं के ग्यारह अध्यापक:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन निर्वाचन के लिये कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थायी प्रधान या, यथास्थिति, ऐसा स्थायी अध्यापक न हो जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुभव रखता हो" ;

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक रूप से गठन कर दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खंड (झ) या खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।"

धारा 4 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में,--

(क) शब्द और अंक "धारा 6" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3 की उपधारा (3)" रख दिये जायेंगे ;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "एक वर्ष" और "दो वर्ष" के स्थान पर क्रमशः शब्द "छःमास" और "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

13--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"5-राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।"

धारा 6 का निकाला जाना

14--मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायगी ।

धारा 8 का संशोधन

15--मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, शब्द "खंड (ख) तथा (घ)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) और (ग)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में, खंड (झ) में, शब्द "खंड (ग) और (घ)" के स्थान पर, शब्द और अक्षर "खंड (ग)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 16-ङ का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 16-ङ में,--

(क) उपधारा (4) में, शब्द "और वह उसे प्रबन्ध समितियों को अग्रसारित करेगा" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्--

"(5)--(एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के संबंध में विहित प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन-पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा ।

(दो) आवेदन-पत्रों के संबंध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना, और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी।";

(ग) उपधारा (11) में, --

(एक) शब्द "मृत्यु या सेवा-निवृत्ति" के स्थान पर शब्द "मृत्यु, सेवा समाप्ति या अन्य प्रकार" रख दिये जायेंगे;

(दो) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो, समाप्ति के पश्चात् नहीं बनी रहेगी।"

धारा 16 छठ का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 16 छठ में, उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में शब्द "अनुसूची" के स्थान पर शब्द "द्वितीय अनुसूची" रख दिये जायेंगे ।

नई अनुसूची का बढ़ाया जाना

20--मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची को द्वितीय अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और सदैव से पुनः संख्यांकित समझा जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित द्वितीय अनुसूची के पूर्व निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात् :--

"प्रथम अनुसूची

धारा 3 (1) क खंड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन

पदाधिकारी

1--धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(क) बोर्ड का सचिव, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा;

(ख) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा ।

अर्हतायें

2--संस्थाओं के प्रधान और अध्यापक निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे जिसमें निम्नलिखित होंगे:--

(एक) संस्थाओं के ऐसे प्रधान, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों, और

(दो) हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कालेजों के ऐसे अध्यापक, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों ।

स्पष्टीकरण--(एक) संस्था के प्रधानों या अध्यापकों के पदों के स्थायी पदधारी जो छुट्टी पर हों, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे ।

(दो) ऐसे हाई स्कूल की स्थिति में जिसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 1 अगस्त के पश्चात् इंटरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता दी गई हो, यदि ऐसे स्कूल का प्रधानाध्यापक स्थायी से भिन्न हैसियत से ऐसे कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक का पदधारण करता हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह इस निमित्त अन्यथा अर्ह हो, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के लिये हकदार होगा ।

निर्वाचक होने के लिए अनर्हता

3--कोई व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 16-छ की उपधारा (7) के अधीन निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई निलम्बनादेश पैरा 2 में निर्दिष्ट सुसंगत दिनांक को प्रवृत्त हो, निर्वाचकगण का सदस्य रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा ।

निर्वाचित होने के लिए पात्रता

4--(1) संस्था का कोई प्रधान निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को ऐसी संस्था के प्रधान के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव न हो ।

(2) कोई अध्यापक निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को अध्यापक के रूप में कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष का अनुभव न हो ।

स्पष्टीकरण--इस पैरा के प्रयोजनों के लिये उस अवधि की भी गणना की जायगी जिसमें, यथास्थिति, ऐसी संस्था के प्रधान या अध्यापक ने अस्थायी हैसियत से पदधारण किया हो ।

निर्वाचन क्षेत्र

5--(1) निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा सम्भाग होंगे ।

(2) केवल एक संस्था प्रधान और एक अध्यापक प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--इस पैरा के प्रयोजनार्थ, पदावलि "शिक्षा सम्भाग" का तात्पर्य उस शिक्षा सम्भाग से है जिसमें ऐसे जिले होंगे जिन्हें राज्य सरकार उसी शिक्षा उप निदेशक के प्रभार में रखे ।

निर्वाचक नामावली

6--(1) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में, उस निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट जिलों की निर्वाचक नामावलियां होंगी ।

(2) प्रत्येक जिले की निर्वाचक नामावली सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे ।

सूचना मांगने की सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति

7--कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने या निर्वाचक नामावली के संबंध में कोई दावा या आपत्ति विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति किसी संस्था का कोई रजिस्टर, अभिलेख या दस्तावेज देख सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका ऐसी संस्था के प्रशासन पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना दे, जिसकी वह अपेक्षा करे ।

निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन

8--जैसे ही निर्वाचक नामावली तैयार हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी नामावली के प्रारूप को प्रकाशित करेगा और उसे--

(एक) अपने कार्यालय में,

(दो) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में,

(तीन) ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे,

निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा ।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के संबंध में दावा और आपत्तियां

9--(1) निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये प्रत्येक दावा और उसमें की गयी किसी प्रविष्टि के संबंध में प्रत्येक आपत्ति पैरा 8 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से दस दिन की अवधि के भीतर सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के संबंध में या उसमें सम्मिलित किसी प्रविष्टि के किसी विवरण के संबंध में, आपत्ति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जायगी जिसका नाम पहले से उस नामावली में सम्मिलित हो ।

(2) प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति लिखित रूप में होगी और उस पर दावा या आपत्ति करनेवाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा ।

समय के भीतर न प्राप्त हुए दावा और आपत्तियों का अस्वीकार किया जाना

10--कोई दावा या आपत्ति जो पैरा 9 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न की जाय या उस व्यक्ति द्वारा की जाय जो ऐसा करने के लिए हकदार न हो, अस्वीकार कर दी जायगी ।

दावा और आपत्तियों का निस्तारण

11--(1) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक ऐसे दावा या आपत्ति के, जिसे पैरा 10 के अधीन अस्वीकार न किया गया हो, निस्तारण के लिये कोई दिनांक निर्धारित करेगा और ऐसे दिनांक की नोटिस--

(क) किसी दावा की स्थिति में, दावा करने वाले व्यक्ति को देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और उस व्यक्ति को भी देगा जिसके नाम के संबंध में ऐसी आपत्ति की गयी हो ;

(ग) निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और ऐसी आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति को देगा ।

(2) उप पैरा (1) के अधीन निर्धारित दिनांक को सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दावा या आपत्ति की सरसरी तौर से जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(3) जांच के दौरान दावेदार या यथास्थिति आपत्तिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी गई हो, उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा ।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी स्वविवेक से--

(क) किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति से अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति द्वारा किया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय और इसके लिये उसे शपथ दिला सकता है ।

(5) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उप पैरा (2) के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और उसे पैरा 8 के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में समाविष्ट करेगा ।

(6) एतदपूर्व दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली में किसी लिपिकीय, टंकन या मुद्रण संबंधी भूल या अशुद्धि को ठीक कर सकता है ।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन

12--(1) पैरा 11 के उप पैरा (2) के अधीन सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति संसूचना के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका आदेश अंतिम होगा ।

(2) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उप पैरा (1) के अधीन पारित आदेश को कार्यान्वित करेगा ।

निर्वाचन के लिए अधिसूचना

13--मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा, निर्वाचकगण के सदस्यों से अधिनियम के उपबन्धों और इस अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों का निर्वाचन करने को कहेगा ।

निर्वाचन के संबंध में दिनांक का निर्धारण

14--पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा--

(क) नामांकन करने के लिए अंतिम दिनांक नियत करेगा जो पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन से कम न होगा;

(ख) नामांकनों की संवीक्षा करने के लिए दिनांक नियत करेगा जो नामांकन करने के लिए अंतिम दिनांक के बाद पांचवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अंतिम दिनांक नियत करेगा जो नामांकनों की संवीक्षा के दिनांक के बाद सातवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा;

(घ) ऐसा या ऐसे दिनांक नियत करेगा जब मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायगा जो दिनांक या जिसमें से प्रथम दिनांक उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अंतिम दिनांक से पन्द्रहवें दिन के पहले का दिनांक नहीं होगा ।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

15--संस्था का, यथास्थिति, कोई प्रधान या अध्यापक अपने से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये प्रस्ताव कर सकता है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हो और उसके पास इस अधिनियम में निर्धारित अर्हतायें हों, और यह भी कि प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आये हों ।

नामांकन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामांकन-पत्रों के लिए अपेक्षायें

16--(1) पैरा 14 के खंड (क) के अधीन नियत दिनांक को या उसके पूर्व, प्रत्येक उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायगा) भरा गया और उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन-पत्र शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को उसके कार्यालय में 11 बजे पूर्वान्ह और 4 बजे अपरान्ह के बीच मुहरबन्द लिफाफे में परिदत्त करेगा या करायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जायगा जब तक कि वह--

(एक) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो, एक सौ रुपये की राशि,

(दो) किसी अन्य स्थिति में दो सौ रुपये की राशि,

जमा न करे या कराये :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई उम्मीदवार एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किया गया हो, वहां उससे एक से अधिक राशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) इन पैराओं की कोई बात किसी उम्मीदवार को एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किये जाने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी ।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जमा की गई कोई धनराशि उस उम्मीदवार को प्रतिसंदाय की जा सकेगी जिसे एतदपश्चात् दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित घोषित किया जाय ।

नामांकन-पत्रों पर पृष्ठांकन किया जायगा

17--कोई नामांकन-पत्र प्राप्त होने पर, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे नामांकन-पत्र पर प्राप्ति का दिनांक और समय और उस व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वह प्रस्तुत किया जाय, पृष्ठांकित करेगा और मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में और रीति से नामांकन पत्रों की सूची प्रकाशित करेगा।

नामांकन-पत्रों की संवीक्षा

18--(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 16 में विहित रीति से प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा करेगा।

(2) पैरा 14 के अधीन नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित दिनांक को, उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित हो सकता है और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उसे किसी नामांकन-पत्र की जांच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त नामांकन पत्रों की जांच करने के पश्चात् उन पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उन समस्त आपत्तियों पर विनिश्चय देगा जो किसी नामांकन के विरुद्ध की जाय और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वप्रस्ताव से ऐसी सरसरी तौर से जांच, यदि कोई हो, जिसे आवश्यक समझा जाय, करने के पश्चात् किसी नामांकन-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी उम्मीदवार का नामांकन किसी नामांकन-पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के कारण अस्वीकार नहीं किया जायगा, यदि उम्मीदवार किसी अन्य नामांकन-पत्र द्वारा जिसके संबंध में कोई अनियमितता न की गई हो, सम्यक् रूप से नामांकित किया गया है।

(5) नामांकन-पत्रों की संवीक्षा कर लेने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिनका नामांकन विधिमान्य पाया जाय और उसे अपने, शिक्षा उप निदेशक और सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं और निरीक्षक के कार्यालयों में सूचना-पट्टों पर चिपकवायेगा। सूची की एक प्रति मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जायगी।

(6) नामांकनों की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के संबंध में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

उम्मीदवारी वापस लेना

19--(1) कोई उम्मीदवार विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायगा) लिखित नोटिस द्वारा, जिसे पैरा 14 के खंड (ग) के अधीन नियत अंतिम दिनांक तक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को, जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी है, उम्मीदवारी वापसी की अपनी नोटिस को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

मतदान कराने की शर्तें

20--(1) यदि उस अवधि की, जिसके भीतर पैरा 19 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लिया जा सकता है, समाप्ति के पश्चात्--

(क) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनका नामांकन विधिपूर्वक किया गया हो और जिन्होंने इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अनधिक हो, तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदारों की संख्या जिनका नामांकन सम्यक् रूप से किया गया हो और जिन्होंने इस प्रकार अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में एक सूची तैयार करेगा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का वर्णमाला क्रम में नाम, जैसा कि नामांकन-पत्र में दिया गया हो, और उनका पदनाम होगा।

(2) संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के लिये ऐसी सूची पृथक्-पृथक् तैयार की जायगी और उन्हें मतदान-पत्रों के मुद्रण के लिये मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास तुरन्त भेजी जायगी।

(3) मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास पर्याप्त संख्या में मतदान-पत्र और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची भेजेगा।

मतों का अभिलिखित किया जाना

21--(1) मतदान, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्रों पर 8 बजे प्रातःकाल और 5 बजे संध्याकाल के बीच गुप्त रीति से किया जायगा ।

(2) मत देने के लिये इच्छुक निर्वाचक से यह अपेक्षा की जायगी कि वह इस निमित्त निर्धारित मतदान केंद्र पर स्वयं जाय और वहां अपना मत दे ।

(3) मतदान की समाप्ति के पश्चात् सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतपेटियों को मुहरबन्द करेगा और उन्हें ऐसे निरापद स्थान में रखेगा जो मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी विनिश्चित करे । तत्पश्चात् मतों की गणना तुरन्त प्रारम्भ की जायगी ।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतदान के समय मतदान केंद्र पर और मतगणना के समय मतगणना स्थल पर उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है। उम्मीदवार, अभिकर्ता की नियुक्ति का अनुमोदन मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम एक घंटे पूर्व सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से लेगा ।

मतदान का स्थगन

22--(1) यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान पर मतदान कराना सम्भव न हो तो मतदान उस दिनांक तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जिसे बाद में अधिसूचित किया जायगा ।

(2) जहां उप पैरा (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय, वहां परिस्थितियों की रिपोर्ट मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त की जायगी ।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, ऐसा दिनांक नियत करेगा जब मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूर्ण न हो जाय और ऐसे मतदान में दिये गये मतों की सम्यक् रूप से गणना न हो जाय ।

मतों की गणना

23--(1) जिन पेटियों में मत-पत्र हों, उन्हें सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में खोला जायगा । तत्पश्चात् दिये गये मतों की गणना शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता से सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायगी । यदि मतदाता ने अपेक्षित संख्या से अधिक मत अभिलिखित किया है तो उसका मत-पत्र अविधिमान्य घोषित किया जायगा । इस निमित्त सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जैसे ही मतों की गणना समाप्त हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास निम्नलिखित तुरन्त भेजेगा--

(1) मुहरबन्द आवरण में मतों की गणना का विवरण-पत्र;

(2) पृथक् मुहरबन्द आवरण में प्रयुक्त मूल मत-पत्र;

(3) पृथक् मुहरबन्द आवरण में, अप्रयुक्त मत-पत्र;

(4) पृथक् मुहरबन्द आवरण में, चिन्हित निर्वाचक नामावली; और

(5) मुहरबन्द आवरण में, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मत-पत्रों का विवरण-पत्र ।

परिणाम की घोषणा

24--(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 23 के अधीन प्राप्त मतगणना के विवरण-पत्रों को समेकित करेगा और ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसको सबसे अधिक संख्या में मत मिला हो ।

(2) दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों या उनमें से ऐसे उम्मीदवारों की, जो उपस्थित होना चाहें, उपस्थिति में, पर्ची डालकर उनका विनिश्चय करेगा और उस उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसके पक्ष में पर्ची निकले ।

परिणाम की सूचना

25--(1) किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में, जिसे विहित किया जाय, परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा ।

(2) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त सफल उम्मीदवारों को भी ऐसे निर्वाचन के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अलग-अलग सूचना भेजेगा ।

मतदान-पत्रों का परिरक्षण

26--मतदान-पत्र और समस्त अन्य संबंधित दस्तावेज और सामग्री पैरा 24 के अधीन परिणाम की घोषणा किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में परिरक्षित की जायेगी ।

27--मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले में निर्वाचन का संचालन करने के लिए आवश्यक कर्मचारिगण की नियुक्ति करने या उनमें कोई परिवर्तन करने या किसी व्यक्ति को हटाने की शक्ति होगी ।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति

28--निर्वाचन से संबंधित कोई विषय जिसके लिये अधिनियम के अधीन कोई उपबन्ध न हो, सभापति के आदेश से विनियमित किया जायगा जिसका उक्त विषय में विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।"

अव्यवस्थित विषयों के लिए सभापति की शक्ति

21-- (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी अधिसूचना संख्या मा 04170/15- 7-2(22)-75-उ0प्र0 अधिनियम- 2/1921-विनियम, 1976, के साथ दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित विनियमावली के साथ पठित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के, जैसी कि वह 21 जनवरी, 1978 के ठीक पूर्व थी, अधीन संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के निर्वाचन को इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पठित इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार हुआ समझा जायेगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

(2) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पदेन सभापति के रूप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश दिनांक 21 जनवरी, 1978 से, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन होने तक बोर्ड और उसके सभापति और उसकी समितियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा ।

22--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 21 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 21 का संशोधन

अध्याय--चार

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन

23--उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा ।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 5 का संशोधन

24--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

धारा 6 का संशोधन

25--मूल अधिनियम की धारा 9 में--

धारा 9 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "परिषद् द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि" के स्थान पर शब्द "ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (3) में शब्द "स्थानान्तरित किया जा सकेगा" के पश्चात् शब्द "जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में परिवर्तन न कर दिया जाय" रख दिये जायेंगे ।

26--मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

"19-- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबन्ध बनाया जा सकता है, अर्थात्--

(क) धारा 6 के अधीन अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 9 के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ग) परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना आवश्यक समझा जाय;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जा सकता हो।"

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

27—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1977, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1978 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 का अध्याय पांच एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित मूल अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेंगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1146 (2)/XVII-V—1-9-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Lagislature and assented to, by the Governor, on April 26, 1978:

THE UTTAR PRADESH EDUCATION LAWS AMENDMENT ACT, 1978

(U. P. Act no. 12 of 1978)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, the Intermediate Education Act, 1921 and the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education Laws Amendment Act, 1978.

(2) This section shall come into force at once, sections 2 and 4 of Chapter II shall be deemed to have come into force on December 1, 1977, the remaining provisions of Chapter II shall be deemed to have come into force on November 25, 1977 and the provisions of Chapter III shall be deemed to have come into force on January 21, 1978.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

Amendment of section 2 of President's Act 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act 29 of 1974.

2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in section 2, in clause (13), the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided that in relation to any such college maintained by a Municipal Board or a Nagar Mahapalika, the expression 'Management', means the education committee of such Board or Mahapalika, as the case may be, and the expression 'Head of the Management' means the Chairman of such committee."

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1-B), *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) The officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (*a*) shall hold office up to December 31, 1978 or until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (*c*) whichever be earlier ;".

Amendment of section 50.

4. In section 50 of the principal Act—

(*a*) in sub-section(1-A), *for* the figures '1977', the figures '1978' shall be *substituted*.

(*b*) in sub-section (2), *for* the figures '1977', the figures '1978' shall be *substituted* ;

Amendment of section 55.

5. In section 55 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (*b*), *for* the words and figures "any order of the Chancellor purporting to be made under section 68", the words "any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act" shall be *substituted*.

Insertion of section 55-A.

6. In Chapter X of the principal Act, *after* section 55, the following section shall be *inserted*, namely :—

"55-A. (1) An Officer specified in any of the clauses (*c*) to (*i*) of section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or mis-application of any money or property of the University, if such loss, waste or mis-application is a direct consequence of his neglect or misconduct.

Surcharge.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or mis-application shall be such as may be prescribed."

Amendment of section 72.

7. In section 72 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso thereto, *for* the figures '1977', the figures '1978' shall be *substituted*.

Amendment of section 72-A.

8. In section 72-A of the principal Act, *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*c*) The officers appointed and the members of the authorities constituted under caluse (*b*) shall hold office up to December 31, 1978 or until the appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (*d*) whichever be earlier;".

Amendment of section 73.

9. In section 73 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso thereto, *for* the figures '1977', the figures '1978' shall be *substituted*.

Amendment of Chapter VI.

10. In Chapter VI of the principal Act, the words "or by a local authority," wherever occurring shall be *omitted*.

CHAPTER III

Amendment of the Intermediate Education Act, 1921

Amendment of section 3 of U.P. Act II of 1921.

11. In section 3 of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (1), *for* clauses (*c*) and (*d*), the following clause shall substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*c*) eleven heads of institutions not maintained by the State Government, and eleven teachers of such institutions, elected in accordance with the procedure specified in the First Schedule :

Provided that no person shall be eligible for election under this clause unless he is a permanent head of institution or, as the case may be, a permanent teacher with experience specified in the said Schedule;"

(ii) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) As soon as may be after the election and nomination of the members of the Board have been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted :

Provided that a notification under this sub-section may be issued even before the election of the members specified in clause (*i*) or clause (*j*) of sub-section (1) has been completed."

Amendment of section 4.

12. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) *for* the word and figure "section 6", the words and figures "sub-section (3) of section 3" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso, *for* the words "one year" and "two years", the words "six months" and "one year" shall respectively be *substituted*.

Substitution of section 5.

13. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"5. The State Government shall take steps for the reconstitution of the Board, before the expiry of the term of office of members under section 4."

Omission of section 6.

14. Section 6 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 8.

15. In section 8 of the principal Act, *for* the words "the Aligarh Muslim University or the Lucknow University", the words "or the Aligarh Muslim University" shall be *substituted*.

Amendment of section 13.

16. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*b*), *for* the words "clauses (*b*) and (*d*)", the words "clauses (*b*) and (*c*)" shall be *substituted*.

Amendment of section 15.

17. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*i*), *for* the words "clauses (*c*) and (*d*)", the word and letter "clause (*c*)" shall be *substituted*.

Amendment of section 16-E.

18. In section 16-E of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (4), the words "and shall be forwarded by him to the Committee of Management" shall be *omitted* ;

(*b*) *for* sub-section (5), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"(5) (i) After the receipt of applications under sub-section (4), the Inspector shall cause to be awarded, in respect of each such applications, quality-point marks in accordance with the procedure and principles prescribed, and shall thereafter, forward the applications to the Committee of Management.

(ii) The applications shall be dealt with, the candidates shall be called for interview, and the meeting of the Selection Committee shall be held, in accordance with the Regulations.";

(*c*) in sub-section (11),—

(i) *for* the words "by death or retirement" the words "by death, termination or otherwise" shall be *substituted* ;

(ii) the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that no appointment made under this sub-section shall, in any case, continue beyond the end of the educational session during which such appointment was made."

Amendment of section 16-GG.

19. In section 16-GG of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*c*) of the Explanation, *for* the word "Schedule" the words "Second Schedule" shall be *substituted*

Insertion of new Schedule.

20. The existing Schedule to the principal Act shall be re-numbered and be deemed always to have been re-numbered as the Second Schedule, and before the Second Schedule as so re-numbered, the following Schedule shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely:—

"FIRST SCHEDULE

Election of members of the Board under clause (c) of section 3(1)

Officers.

1. For the purposes of the election of the members of the Board under clause (*c*) of sub-section (1) of section 3, the following shall be the officers :—

(*a*) The Secretary of the Board shall be the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari ;

(*b*) The Regional Deputy Director of Education shall be the Shikshak Nirvachan Adhikari;

(*c*) The District Inspector of Schools shall be the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari.

Qualifications of voters.

2. The heads of institutions and teachers shall be elected by the members of an electoral college consisting of,—

(i) such heads of Institutions as are confirmed as such on August 1, immediately preceding the date of election, and

(ii) such teachers of High Schools and Intermediate Colleges, as are confirmed as such on August 1, immediately preceding the date of election.

Explanation—(i) Permanent incumbents of the posts of Heads of institutions or teachers who are on leave, shall be eligible for inclusion in the electoral college.

(ii) In the case of a High School which has been recognised as Intermediate College after August 1 preceding the date of election, if the Headmaster of such school is holding the post of Principal or teacher in such college otherwise than in a permanent capacity, such person shall if otherwise qualified in that behalf, be entitled to be included in the electoral college.

Disqualification for being an elector.

3. No person in respect of whom an order of suspension duly approved by the Inspector under sub-section (7) of section 16-G is in force on the relevant date referred to in paragraph 2 shall be registered as a member of the electoral college.

Eligibility for being elected.

4. (1) No head of institution shall be eligible for election unless he has not less than five years experience in the aggregate as such Head of Institution, on thirtieth day of June preceding the date of election.

(2) No teacher shall be eligible for election unless he has not less than ten years experience in the aggregate as such teacher on thirtieth day of June preceding the date of election.

Explanation—For the purposes of this paragraph, the period during which such head of institution or teacher, as the case may be, was holding the post in a temporary capacity shall also be counted.

Constituencies.

5. (1) The constituencies for the purpose of election shall be the educational regions.

(2) Only one Head of Institution and one teacher shall be elected from each such constituency.

Explanation—For the purposes of this paragraph the expression "educational region" means the educational region comprising such districts as may be placed by the State Government under the charge of a Deputy Director of Education.

Electoral roll.

6. (1) The electoral roll for every constituency shall consist of the electoral rolls for the districts comprised within that constituency.

(2) The electoral roll for every district shall be prepared by the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari in such form as the Mukhva Shikshak Nirvachan Adhikari may direct.

Power of Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari to call for information.

7. For the purpose of preparing any electoral roll or deciding any claim or objection in respect of an electoral roll, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari and any person appointed by him in this behalf shall have access to any register, record or document of any institutions and it shall be the duty of every person having control over or associated with the administration of the affairs of such institution to furnish to the said Adhikari or person such information as he may require.

Publication of draft electoral roll.

8. As soon as the electoral roll has been prepared, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall publish the draft roll and make it available for inspection—

(i) at his office ;

(ii) at the office of the Shikshak Nirvachan Adhikari ;

(iii) at such other place or places as the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari may direct.

Claims and objections in respect of entries in electoral rolls.

9. (1) Every claim for inclusion of a name in the electoral roll and every objection to any entry made therein shall be made to the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari within a period of ten days from the date of publication of the draft electoral roll under paragraph 8 :

Provided that every objection to the inclusion of the name in the electoral roll or to any particular in an entry therein shall be preferred by a person whose name is already included in that roll.

(2) Every such claim or objection shall be in writing signed by the person making it.

Rejection of claims and objections not received in time.

10. Any claim or objection which is not lodged within the time specified in paragraph 9 or is logded by a person not entitled to make the same, shall be rejected.

Disposal of claims and objections.

11. (1) The Sahayak Shikshak Nirvachar Adhikari shall fix a date for the disposal of every claim or objection which has not been rejected under paragraph 10 and shall give notice of such date,—

(*a*) in the case of a claim, to the person making it ;

(*b*) in the case of an objection to the inclusion of a name in the electoral roll, to the person preferring the objection and to the person in respect of whose name such objection has been made;

(*c*) in the case of an objection to the particulars in an entry in the electoral roll, to the person preferring the objection and to the person affected by such objection.

(2) On the date fixed under sub-paragraph (1) the Sahayak Shikshan Nirvachan Adhikari shall hold a summary inquiry into every claim or objection and shall record his decision thereon.

(3) During the inquiry, the claimant or as the case may be, the objector and any person to whom notice has been issued under sub-paragraph (1) shall be entitled to appear and to be heard.

(4) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari may in his discretion,—

(*a*) require any such claimant, objector or person to appear in person before him ;

(*b*) require that the evidence tendered by any such claimant objector or person shall be on oath and administer oath to him for that purpose.

(5) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall, after the conclusion of inquiry, prepare a list of amendments to carry out his decisions under sub-paragraph (2) and shall incorporate the same in the draft electoral roll published under paragraph 8.

(6) Subject to the provisions hereinbefore contained, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari may correct any clerical, type-written or printing error or inaccuracy in the electoral roll.

Representation against order of Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari.

12. (1) Any person aggrieved from the decision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari under sub-paragraph (2) of paragraph 11 may, within one week from the date of communication, make a representation against such decision to the Shikshak Nirvachan Adhikari and his order on such representation shall be final.

(2) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall give effect to the order passed under sub-paragraph (1).

Notification for election.

13. The Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari shall, by notification call upon the members of the electoral college to elect Heads of Institutions and teachers in accordance with the provisions of the Act and the provisions contained in this Schedule.

Fixation of dates in respect of election.

14. As soon as may be after the publication of the notification under paragraph 13, the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari shall, by notification, appoint—

(*a*) the last date for making nominations which shall not be less than a fortnight from the date of publication of the notification under paragraph 13;

(*b*) the date for the scrutiny of nominations which shall not be later than the fifth working day after the last day for making nominations ;

(*c*) the last date for the withdrawal of candidature which shall not be later than the seventh working day after the date for the scrutiny of nominations ;

(*d*) the date or dates on which poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the fifteenth day after the last date for the withdrawal of candidature.

Nomination of candidates for election.

15. Any Head of Institution or teacher, as the case may be, may propose any person other than himself for election as a member, provided that such person is willing to stand for election and possesses the qualifications laid down in this Act and provided further that the names of the proposer and the proposed occur in the electoral roll of the constituency concerned.

Presentation of nomination paper and requirements for valid nominations.

16. (1) On or before the date appointed under clause (*a*) of paragraph 14, each candidate or his proposer shall, either in person or through registered post, deliver or cause to be delivered in a sealed cover to the Shikshak Nirvachan Adhikari in his office between the hours of 11 o'clock in the forenoon and 4 o'clock in the afternoon, a nomination paper completed in the prescribed form (to be had from the Shikshak Nirvachan Adhikari) and signed by the candidate and his proposer :

Provided that a candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency, unless he deposits or causes to be deposited—

(i) in the case of a person, who is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a sum of one hundred rupees ;

(ii) in any other case, a sum of two hundred rupees:

Provided further that where a candidate has been nominated by more than one nomination papers for election in the same constituency, not more than one deposit shall be required of him.

(2) Nothing in these paragraphs shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination papers.

(3) Any deposit made under sub-paragraph (1) shall be repayable to the candidate who is declared to be elected in accordance with the provisions hereinafter contained.

17. On the receipt of any nomination paper, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall endorse on such nomination paper the date and time of receipt and the name of the person, if any, by whom it is presented and shall publish the list of nomination papers in the form and manner approved by the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari. Endorsement to be made on the nomination papers.

18. (1) The scrutiny of nomination papers received in the manner prescribed in paragraph 16, shall be made by the Shikshak Nirvachan Adhikari. Scrutiny of nominations.

(2) On the date fixed for the scrutiny of nominations under paragraph 14, the candidate or his proposer or any other person, duly authorised in writing by the candidate, may be present at the time of scrutiny of nomination papers and the Shikshak Nirvachan Adhikari shall give him all reasonable facilities for examining any nomination paper.

(3) The Shikshak Nirvachan Adhikari shall, after examining all nomination papers, record his decision thereon and decide all objections which may be made against any nomination and may, either on such objection or of his own motion, after such summary inquiry, if any, as is considered necessary, reject any nomination paper.

(4) The nomination of any candidate shall not be rejected on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(5) Immediately after the nomination papers have been scrutinised and decisions accepting or rejecting the same have been taken, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall prepare a list of candidates whose nominations are found to be valid, and cause it to be affixed to the notice boards in his office and in the offices of the Deputy Director of Education and the Regional Inspectresses of Girls Schools and the Inspector. A copy of the list shall also be sent to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari.

(6) The decisions of the Shikshak Nirvachan Adhikari shall be final in respect of the validity or otherwise of the nominations.

19. (1) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing in the prescribed form (to be obtained from the Shikshak Nirvachan Adhikari) to be given by him to the Shikshak Nirvachan Adhikari, not later than the last date appointed under clause (*c*) of paragraph 14. Withdrawal of candidature.

(2) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-paragraph (1) shall be allowed to cancel his notice of withdrawal.

20. (1) If after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under paragraph 19,— Conditions for taking of polls.

(*a*) the number of candidates who have been validly nominated and have not withdrawn their candidatures in the manner and within the time specified in this Schedule does not exceed the number of candidates to be elected from the constituency, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall declare such candidates to be duly elected ;

(*b*) the number of candidates who have been duly nominated and have not so withdrawn their candidatures exceeds the number of candidates to be elected from such constituency, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall prepare in the form approved by the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari a list containing the names in alphabetical order of the contesting candidates as given in the nomination paper together with their designations.

(2) Such list shall be prepared separately for Heads of Institutions and teachers and shall be sent to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari and Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari immediately for printing of the ballot papers.

(3) The Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari shall send to the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari ballot papers in sufficient numbers alongwith the list of contesting candidates.

21. (1) The votes shall be cast in a secret manner in the polling booths fixed by the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari between the hours of 8 o'clock in the morning and 5 o' clock in the evening. Recording of votes

(2) An elector desiring to cast vote shall be required to go in person to the polling booth fixed in this behalf and cast his vote there.

(5) After the close of the poll the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall seal the ballot boxes and keep them in such a safe place as may be determined by the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari. Counting of votes shall commence immediately thereafter.

(4) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari may permit the candidate or his authorised agent to be present in the polling booth during the hours of polling and at the place of counting during the hours of counting. The approval of the appointment of agent shall be obtained from the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari by the candidate at least an hour before the commencement of the polling.

Adjournment of poll.

22. (1) If at an election, it is not possible to take the poll at any place fixed for the recording of votes, on account of any natural calamity or any other sufficient cause, the poll may be adjourned to a date to be notified later.

(2) Where the poll is adjourned under sub-paragraph (1) the circumstances shall be immediately reported to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari and the Shikshak Nirvachan Adhikari.

(3) The Shikshak Nirvachan Adhikari shall, with the previous approval of the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari, appoint the day on which the poll shall recommence and shall not declare the result of election until such adjourned poll has been completed and the votes cast at such poll have been duly counted.

Counting of votes.

23. (1) The boxes containing the ballot papers shall be opened in the presence of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari. The votes polled shall then be counted under the supervision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari with the help of Gazetted Officers of Education Department. If the voter records more than the required number of votes, his ballot paper shall be declared invalid. The decision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari in this behalf shall be final.

(2) As soon as the counting of votes is over, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall send forthwith to the Shikshak Nirvachan Adhikari the following :—

(1) statement of counting of votes in a sealed cover ;

(2) original used ballot papers in a separate sealed cover;

(3) un-used ballot papers in a separate sealed cover;

(4) marked electoral rolls in a separate sealed cover; and

(5) statement of used and un-used ballot papers in a sealed cover.

Declaration of result.

24. (1) The Shikshak Nirvachan Adhikari, shall consolidate the statement of counting of votes received under paragraph 23 and shall declare such candidate to be duly elected as has secured the largest number of votes.

(2) In the event of two or more candidates securing an equal number of votes, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall, in the presence of the candidates or such of them as desire to be present, decide between those candidates by lot and declare to be duly elected the candidate on whom the lot falls.

Information of result.

25. (1) As soon as may be after the result of an election has been declared, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall report the result to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari as well as to the State Government in such form as may be prescribed.

(2) Shikshak Nirvachan Adhikari shall also inform all the successful candidates individually by registered post about the result of such election.

Preservation of voting papers.

26. The voting papers and all other connected documents and materials shall be preserved in the office of the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari for one year from the date of declaration of result under paragraph 24.

Powers of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari.

27. The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall have the power to appoint the necessary staff for conducting the election in his district or to make any change or remove any person from the working staff as per directions of the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari.

Powers of the Chairman in matters not provided for.

28. Any matter concerning the election for which there is no provision under the Act shall be regulated by the orders of the Chairman whose decision in the matter shall be final and conclusive."

Transitory provision.

21. (1) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, the election of heads of institutions and teachers under clauses (*c*) and (*d*) of sub-section (1) of section 3 of the principal Act as it stood immediately before Jaunary 21, 1978 read with the regulations published with notification no. Ma-4170/XV-7—2(22)—75—U. P. Act 2-1921-Regulation-1976 in the *U. P. Gazette Extraordinary*, dated September 8, 1976, shall be deemed to have been held in accordance with the provisions of clause (*c*) of sub-section (1) of section 3 of the said Act as *substituted* by this Act read with the First Schedule to that Act as *inserted* by this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in the principal Act, the Director of Education, Uttar Pradesh as *ex-officio* Chairman of the Board shall, with effect from January 21, 1978 until the reconstitution of the Board in accordance with sub-section (3) of section 3 of the principal Act as amended by this Act exercise all the powers and perform all the functions of the Board and of its Chairman and Committees.

Amendment of section 21 of U.P. Act 26 of 1975.

22. In section 21 of the Uttar Pradesh Secondary Education Laws (Amendment) Act, 1975 sub-section (2) shall be *omitted.*

CHAPTER IV

AMENDMENT OF UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972

Amendment of section 5 of U.P. Act 34 of 1972.

23. In section 5 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2), clause (*c*) shall be *omitted.*

Amendment of section 6.

24. In section 6 of the principal Act, sub-section (2) shall be *omitted.*

Amendment of section 9.

25. In section 9 of the principal Act--

(*a*) In sub-section (1) *for* the words "duly altered by the Board", the words "altered by rules made by the State Government in that behalf" shall be *substituted*; and

(*b*) in sub-section (3), *after* the words "at the same remuneration and on the same other terms and conditions of service as governed him immediately before such transfer", the words "until such tenure, remuneration and other terms and conditions are altered by the rules referred to in sub-section (1)" shall be *inserted.*

Substitution of new section for section 19.

26. *For* section 19 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"19(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

(*a*) the recruitment, and the conditions of service of persons appointed to the posts of officers, teachers and other employees under section 6;

(*b*) the tenure of service, remuneration and other terms and conditions of service of officers, teachers and other employees transferred to the board under section 9 ;

(*c*) the recruitment, and the conditions of service of the persons appointed, to the posts of teachers and other employees of basic schools recognised by the Board ;

(*d*) any other matter for which insufficient provision exists in the Act and provision in the rules is considered by the State Government to be necessary ;

(*e*) any other matter which is to be or may be prescribed."

CHAPTER V

Miscellaneous

U.P. Ordinance no. 17 of 1977. U.P. Ordinance no. 4 of 1978. U.P. Ordinance no. 18 of

Repeal and savings.

27. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1977, the Uttar Pradesh Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 1978 and Chapter V of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1977 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the principal Acts mentioned in Chapters II and III, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the respective principal Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

उ0 प्र0 पी0—ए 0पी0 42 सा0 (विधा0)—27-4-78-(373)—1978—700 ((मे0)।